

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या:— 25/2017 अपील (राजस्व)

श्री रामचन्द्र पिता हमेरलाल चौधरी, निवासी 158, इन्द्रापुरी, भुवाणा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

— अपीलान्त

बनाम

1. पटवारी हल्का भुवाणा जरिये पटवारी भुवाणा तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
2. तहसीलदार बड़गॉव, तहसील कार्यालय बड़गॉव, मनोहरपुरा, टाईगर हिल, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

— रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 (क) भू-राजस्व अधिनियम बनाराजगी तहसीलदार बड़गॉव आदेश दिनांक 21.11.2016 प्र.सं. 12/16

ना.क.

उपस्थित : श्री सत्यप्रकाश व्यास, अधिवक्ता अपीलान्त
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरंकार रेस्पोंडेन्टगण

निर्णय

दिनांक:—.....

अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 (क) भू राजस्व अधिनियम बनाराजगी तहसील बड़गॉव के आदेश दिनांक 21.11.2016 प्रकरण संख्या 12/16 नाजायज कब्जा से दुखी होकर प्रस्तुत की हैं।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील में यह निवेदन किया गया है कि मौजा भुवाणा की आराजी संख्या 2983 ग्राम पंचायत भुवाणा की होकर हल्का आबादी दर्ज थी, जिस पर ग्राम पंचायत भुवाणा द्वारा विधिक रूप से अपीलार्थी के पूर्व हिताधिकारी के पक्ष में पट्टा संख्या 30 दिनांक 14.02.75 को जारी किया गया। तब से अपीलार्थी के पूर्व हिताधिकारी इस आराजी के

आंशिक हिस्से पर काबिज थे, जिसको अपीलार्थी ने दिनांक 20.04.2001 को क़य किया तब से अपीलार्थी उक्त हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 भु राजस्व अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही शुन्य व अवैध हैं। क्योंकि किसी भूमि में अतिक्रमण केवल वही व्यक्ति हटा सकता है जो कि सम्पत्ति का स्वामि हैं। जबकि इस संपत्ति का स्वामि ग्राम पंचायत होकर सम्पत्ति ग्राम पंचायत में निहित होने से विपक्षी को धारा 91 की कार्यवाही अमल में लाने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता हैं। वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत के हल्का आबादी में स्थित होने से बिना ग्राम पंचायत की सिफारीश के सीधे इस मामले में कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नहीं हैं। तहसीलदार को केवल कृषि भूमि के अतिक्रमणों पर ही कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। यदि ग्राम पंचायत कि बिना सहमति से तहसीलदार द्वारा स्वप्रेरणा से यदि कोई कार्यवाही की भी है तो वह पोषणीय नहीं हैं। ऐसी कार्यवाही विधि विरुद्ध होने से शुन्य व अवैध हैं। अपीलार्थी को 1975 में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिया गया। इतने वर्षों तक भूमि आबादी में दर्ज थी। इतने वर्षों बाद अपीलार्थी को अतिक्रमी बताना न्यायोचित नहीं हैं। अपीलार्थी का उसके कब्जेशुदा भूमि पर कब्जे होने पर स्वत्व है। उसके द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया है उसके पूर्व हिताधिकारी का सन् 1975 से भी शान्तिपूर्वक कब्जा जिसे अतिक्रमण नही कहा जा सकता। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत भी आवश्यक पक्षकार है जिसे भी सुना जाना आवश्यक है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की प्रारम्भिक आपत्तियों पर भी सुनवाई नही की जाकर "BACK DATE" में आदेश पारित कर दिया गया न्यायिक दृष्टि में ऐसे आदेश को "Biased Judgement" कहते है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावें।

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता राज द्वारा उपस्थित होकर अपील मेमो का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील में वर्णित प्रश्नगत भूमि किस्म आबादी की होकर अपीलार्थी के पूर्व हिताधिकारी को ग्राम पंचायत भुवाणा द्वारा आबादी भूमि का पट्टा दिया जाकर विधिवत कब्जा सौंपा गया हैं। जिस कारण अपीलार्थी किसी भी स्थिति में अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता हैं। इस भूमि पर अपीलार्थी व अपीलार्थी के पूर्व हिताधिकारियों का कब्जा 1975 से निर्बाध निरंतर चला आ रहा हैं। जमीन की किस्म आबादी हैं। जिस पर ग्राम पंचायत अधिनस्थ न्यायालय को धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रकरण में ग्राम पंचायत भी हितबद्ध पक्षकार हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे भी नहीं सुना गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की प्रारम्भिक आपत्तियों को भी नहीं सुना गया। हाल सेटलमेंट में पुरानी भूमि किस्म को नजरअंदाज करके अगर कोई नया इन्द्राज कर दिये गये हो तो अपीलार्थी इससे बाध्य नहीं हैं। क्योंकि पट्टे वाली भूमि को चरनोट दर्ज कर दिया गया। ऐसे इन्द्राज सुसंगत नहीं हैं। सन् 1975 के इन्द्राज ही सुसंगत हैं। जो वर्तमान में भी प्रभावशाली रहने चाहिये। इस प्रकार की गहन त्रुटी पर अधिनस्थ न्यायालय ने विचार ना कर भारी वैधानिक त्रुटी की हैं। पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में एकतरफा रिपोर्ट

तैयार की गई है जो कानूनन देखी नहीं जा सकती हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की प्रारम्भिक आपत्ति भी बिना सुने खारीज कर दी गई। जब भूमि 1975 में पट्टे देते समय आबादी भूमि थी तो इतने वर्षों बाद अपीलार्थी को अतिक्रमी बताना न्यायोचित नहीं हैं। अतः कृपया अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश खारीज फरमाया जावें।

विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि पटवारी हल्का भुवाणा द्वारा उपतहसीलदार बड़गँव को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अर्चिल जैन पिता देवेन्द्र जैन निवासी आदर्श कॉलोनी, पुला, उदयपुर द्वारा द्वारा मौजा भुवाणा की आराजी नम्बर 2983 रकबा 2400 वर्गफीट किस्म मगरी चरागाह पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधिवत लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 91 का नोटिस दिया जाकर सुनवाई की जाकर किस्म भूमि चरागाह होने से आवंटन/ नियमन की तार्ईद में नही आने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश दिया गया। अपने तर्कों में यह भी निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है ऐसे अतिक्रमण को नियमन व आवंटन नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली व शास्ति का दिया गया आदेश न्यायोचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी को इसी स्तर पर खारीज किया जाना फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अध्ययन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय से अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.03.17 पर दिनांक 09.03.17 को नकल उपलब्ध करायी गई हैं। जबकि निर्णय दिनांक 21.11.16 को हुआ हैं। इसके पूर्व में भी अपीलार्थी द्वारा नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं। नकल प्राप्त होते ही अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई

हैं। निर्णय दिनांक 21.11.16 के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा अपील दिनांक 03.04.17 को अपील प्रस्तुत की हैं। विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण विवरण अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिस पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी का मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील की मियाद कण्डोन की जाती हैं।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन एवं बहस पर मनन के पश्चात् न्यायालय का मत है कि विवादीत भूमि किस्म चारागाह हैं। चारागाह भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आबादी मानी जाकर किसी भी स्थिति में नहीं दिये जा सकते हैं। आवासीय पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के ही दिये जा सकते हैं। अपीलार्थी का यह कथन कि पूर्वाधिकारीयों को ग्राम पंचायत भुवाणा द्वारा 1975 में आवासीय पट्टे दिये गये थे। संलग्न पत्रावली में उपलब्ध पट्टे की छायाप्रति के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि यह पट्टे अन्य किसी आबादी भूमि के ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये होंगे। क्योंकि प्रश्नगत भूमि किस्म चरागाह हैं। भूमि सदीप से ही किस्म चरागाह रही हैं। किसी भी सेटलमेंट में इस भूमि को बिलानाम से चरागाह घोषित नहीं किया गया हैं। चरागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण हटाने का दायित्व पटवारी/ नायब तहसीलदार/ तहसीलदार को ही हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह कानून सम्मत की गई हैं। अपीलार्थी का यह कथन मान्य नहीं है प्रकरण में ग्राम पंचायत हितबद्ध पक्षकार हैं। जिसे भी सुना जावें। जहाँ पर भी प्रार्थी व राज्य सरकार के बीच विवाद हो उसमें तीसरे पक्ष को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाना अवैधानिक हैं। अपीलार्थी का यह कथन कि विवादीत भूमि पर ग्राम

पंचायत द्वारा उनके पूर्वाहिताधिकारी को पट्टा दिया गया है। परन्तु यह भूमि ग्राम पंचायत को कभी भी आबादी विस्तार हेतु नहीं दी गई। नाही कोई आराजी नम्बर ही पट्टे में उल्लेखित हैं। इसलिये अपीलार्थी का इस भूमि पर अधिकार अथवा कब्जा होने का कोई आधार नहीं बनता है नाही उसके कोई विधिक रूप से अधिकार इस चरागाह भूमि पर प्राप्त होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत सुनकर प्रस्तुत जवाब के परीक्षण के पश्चात् कानून सम्मत निर्णय पारित किया है। जिसमें अपीलान्ट का विवादीत भूमि पर अवैध कब्जा होना पाया गया है। भूमि कि किस्म चारागाह की होने से भूमि का नियमन/ आवंटन नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बड़गाँव के प्रकरण संख्या 12/16 नाजायज कब्जा अनवानी पटवारी हल्का भुवाणा बनाम रामचन्द्र चौधरी में पारित निर्णय दिनांक 21.11.16 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर